

# न्यायालय तहसीलदार परबतसर (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी - राज सरकार जरिये पटवारी हल्का रुणीजा

बनाम

अप्राथी - लिखमणराम, जगमाल, मंगलराम पुत्र श्री चन्द्रराम निवारी गिंगोली

अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 18/19

निर्णय दिनांक :- 09/09/2019

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रुणीजा ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2076 में सरहद गिंगोली के ख.न. 333 रकबा 0.03 है० भूमि किस्म गै.मु.नाला में बाड लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को वास्ते वजह सवूत नोटिस दिया गया। अप्रार्थीगण का नोटिस स्वयं से तामिल हुआ जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी उपरोक्तानुसार पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौजा गिंगोली के ख.न 333 रकबा 0.03 हैक्टयेर भूमि किस्म गै.मु.नाला में अतिक्रमण किया हुआ है।

प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी का मुतनाजा भूमि पर अतिक्रमण पाया गया है अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमित भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति हैक्टयेर से अतिक्रमित भूमि 0.03 है० के 0.18 रुपये के लगान का 50 गुणा 9/- अक्षरे नौ रुपये बतौर जुर्माना कायम किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। वाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



तहसीलदार परबतसर